झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– वि0प्रा0योजना–55/2011 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (तकनीकी शिक्षा निदेशालय),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशन और प्रशासान हेतु प्रस्तावित विभिन्न मदों में उपबंधित राशि में से कुल रू0 75,10,000/–(रू0 पछहत्तर लाख दस हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 02/योजना दिनांक 17.04.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशन और प्रशासन के तहत निदेशालय का सुदृढ़ीकरण के लिए संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 75,10,000/–(रू0 पछहत्तर लाख दस हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है :–

क्र0	इकाई का नाम	OSP	Total
1	मजदूरी	6,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000103)	6,00,000.00
2	संविदा भता	1,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000108)	1,00,000.00
3	कार्यालय व्यय	10,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000315)	10,00,000.00
4	कार्यालय उपकरण	10,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000317)	10,00,000.00
5	आपूर्ति एवं सामग्री	15,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000323)	15,00,000.00
6	व्यावसायिक सेवाएँ	25,60,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000329)	25,60,000.00
7	पुस्तकालय	50,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000332)	50,000.00
8	मोटर वाहन	7,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300001A6000441)	7,00,000.00
	कुल	**75,10,00.00**	**75,10,000.00**
कुल 75,10,000/–(रू0 पछहत्तर लाख दस हजार) मात्र			

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–A6–निदेशालय का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि रू0 1,52,20,000/– (रू0 एक करोड़ बावन लाख बीस हजार) मात्र के अन्तर्गत

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय। यह निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

5. यह राशि **State Scheme Code-1287** से संबंधित है।

6. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड होगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

9. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–55/2011 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–55/2011 – 01/बजट /राँची, दिनांक– 24/04/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड,/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को **Upload** करने हेतु/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/IV/25

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव